हम

पेंशनधारकों के अपने पेंशन लाभों तथा भविष्य निधि शेष राशियों का तुरन्त निपटान प्राप्त करने के अधिकार को मानते हैं।

हम

संवीक्षा करने और प्राधिकार प्राधिकृत करने के रूप में अपने उत्तरदायित्त्व के प्रति सचेत हैं।

सेवा

की उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध कराने तथा उसे बनाए रखने की हमारी वचनवद्धता को प्रमाणित करते हैं।

हम

सभी तरह से पूर्ण मामलों की प्राप्ति के दो महीने के अन्दर पेंशन लाभों तथा भविष्य निधि देय राशियों को प्राधिकृत करने।

कमियों तथा चूकों के संबंध में एक माह के अन्दर संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान दिलाने तथा ऐसी कार्यवाही के विषय में लाभार्थियों को सूचित करने।

एक सप्ताह के अन्दर सभी शिकायतों की प्राप्ति स्वीकार करने।

उनकी प्राप्ति के दो महीनें के अन्दर सेवानिवृति लाभो से संबंधित शिकायतों का अंतिम उत्तर प्रेषित करने।

सामान्य भविष्य निधि लेखाओं में विसंगतियों के संबंध में पत्राचार की प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने का संकल्प लेते हैं।

इसके अतिरिक्त हम

सभी 'पणधारकों' को प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों पर सूचना एवं ज्ञान को उपयुक्त रूप से प्रचारित करने का संकल्प लेते है।